

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :-
प्रेषक,

रा0खा0आ0 (शिकायत)-गुमला/PDS -01/2022 - 760

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक:- 29.09.2023

विषय:- गुमला जिले में अनाज घोटाला से संबंधित मामले में प्रकाशित समाचार से संबंधित प्राप्त परिवाद पत्र पर कार्रवाई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि गुमला जिला में लगभग 5 हजार क्वीन्टल अनाज के घोटाला से संबंधित परिवाद पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है। परिवादी श्री महेन्द्र उरांव, सदस्य, भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच, पता-फसिया, ढोढ़रीटोली, गुमला द्वारा आपने परिवाद पत्र में गुमला जिला में अनाज घोटाला के मामले से संबंधित प्रकाशित समाचार पर जिला प्रशासन द्वारा संज्ञान में लेकर इसकी जाँच जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारियों से कराये जाने का उल्लेख करते हुए इसे गैरन्यायसंगत बताया गया है। परिवादी द्वारा उक्त मामले की जाँच में लिपा-पोती का अन्देशा जताया गया है।

अतः प्राप्त परिवाद पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त मामले की जाँच कराते हुए आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(संजय कुमार)

सदस्य सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

M.S. duy 08/09/2023

Stg

सेवा में,

दिनांक - 04/09/2023

चेयरमैन,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग
हरमु हाउसिंग कॉलोनी
टोंगरीटोली, झारखण्ड, राँची - 834002


विषय - गुमला जिले में अनाज घोटाला की जाँच आयोग स्तर में कराकर दोषियों के विरुद्ध कारवाई करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि गुमला जिला में लगभग पाँच हजार क्वींटल अनाज का घोटाला का मामला प्रभात खबर अखबार मे आने के बाद जिला प्रशासन द्वारा संज्ञान में लेकर जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारियों के स्तर से जाँच कराई जा रही है, जो न्यायसंगत नहीं है और इसमें मामले की जाँच में लीपापोती किया जा सकता है। चूँकि इस घोटाला में तत्कालिन जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम शमदानी एवं विभिन्न प्रखण्डों के प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारियों की मिली भगत है और अंदेशा है कि निष्पक्ष जाँच नहीं कर मामला का रफा-दफा किया जा सकता है।

अतः आग्रह है कि इस मामले की जाँच आयोग के शिष्टमंडल से कराकर दोषियों के विरुद्ध कारवाई करने की कृपा किया जाय।

अनुलग्नक - यथोक्त।

भवदीय

(महेन्द्र उराँव)
सदस्य

भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच
पता - फसिया ढोढरीटोली, गुमला
पिन - 835207
मो0 - 8271611601

वर्ष 2022 के सितंबर व नवंबर माह का नहीं मिला आधा अनाज

गुमला जिले में अनाज का बड़ा घोटाला, 5000 क्विंटल गायब

डीलरों ने की शिकायत

दुर्गा पासवान, गुमला

गुमला में डीलरों ने अनाज घोटाला की शिकायत की है. 5000 क्विंटल अनाज डीलरों को नहीं मिला, परंतु, गोदाम से अनाज गायब होने की शिकायत की है. इस संबंध में अपनी शिकायत लेकर डीलर संघ के लोग मंगलवार को डीएसओ गुमला से मिलने पहुंचे थे. कार्यालय के बाहर शेड में बैठक भी की है. एक डीलर से तो तिवारी नामक व्यक्ति ने 94 हजार रुपये घूस ले लिये. डीलर ने इसकी लिखित शिकायत की है. डीलरों के अनुसार गुमला ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में 140 डीलर हैं. सभी डीलरों को वर्ष 2022 का सितंबर माह का अनाज काट कर दिया गया, जिससे लाभुकों को सितंबर माह का पूरा अनाज नहीं मिल सका. कुछ डीलरों ने इधर-उधर से जुगाड़ कर लाभुकों को अनाज दिया. डीलरों ने जब विभाग से बकाया अनाज की मांग की, तो उन्हें अनाज नहीं दिया गया. डीलरों का आरोप है कि गुमला के एजीएम व एक अधिकारी ने अनाज बेच दिये. उन लोगों ने इसकी जांच की मांग की है. वहीं कामडारा प्रखंड के डीलरों को सितंबर माह का गेहू व चावल नहीं मिला है. इस प्रखंड के डीलर भी अनाज की मांग को लेकर भटक रहे हैं. परंतु, विभाग द्वारा अनाज नहीं दिया जा रहा है. डीलरों ने बताया कि अनाज का घोटाला हो गया है, जिससे अनाज नहीं दिया जा रहा है. डीलर संघ के शिव कुमार राम व गणेश केसरी ने कहा है कि सितंबर माह को जो अनाज काटा गया था, अभी तक नहीं मिला है. अनाज कहाँ गया, यह



डीएसओ कार्यालय के बाहर बैठक करते डीलर.

जांच का विषय है. गुमला उपायुक्त से अनुरोध है कि इसकी जांच करायी जाय, ताकि पता चले कि सितंबर व नवंबर माह का अनाज कहाँ गया है. दोनों नेताओं ने कहा है कि पूर्व में इसकी शिकायत डीएसओ गुलाम समदानी से की गयी थी, परंतु उस पर कार्रवाई नहीं हुई. अब उनका गुमला से दूसरे जिले में स्थानांतरण हो गया है. वे दूसरे अधिकारी को प्रभार देकर चले गये हैं. नेताओं ने कहा है कि पूर्व के एजीएम के कार्यकाल में अनाज उठाव की जांच हो, ताकि सच्चाई सामने आ सके. डीलरों ने अपने ऊपर हो रहे शोषण से मुक्ति दिलाने की भी मांग की है. एजीएम व आपूर्ति विभाग कार्यालय द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है.

गेहू नहीं दिया व 84 हजार घूस भी लिया : गुमला प्रखंड के घटगांव के जूही महिला मंडल से तिवारी नामक व्यक्ति ने 84 हजार रुपये घूस लिया है. साथ ही 2023 के मई माह का गेहू का आवंटन भी डीलर को नहीं किया गया. डीलर ने खरीदकर लाभुकों को गेहू का वितरण किया. इस संबंध में अध्यक्ष बिरिजिया कुजूर, सचिव एमलेन एक्का व कोषाध्यक्ष ने डीएसओ गुमला को लिखित आवेदन सौंपा है. आवेदन में उन्होंने कहा है कि मई माह का गेहू उसे नहीं दिया गया, जिस कारण वह लाभुकों के बीच गेहू नहीं बांट सके.

बाद में गेहू नहीं बांटने की शिकायत कर डीलर का लाइसेंस रद्द करने की धमकी दी जाने लगी. तिवारी नामक व्यक्ति ने विभाग से नजदीकी होने का हवाला देकर 84 हजार रुपये घूस ले लिये, ताकि वह विभाग से गेहू उपलब्ध करा देगा. परंतु, पैसा लेने के बाद गेहू नहीं दिया. बाद में विभाग को पत्राचार करने के बाद गेहू मिला, जिसे बांटा गया. परंतु, तिवारी ने बेवजह के घूस का पैसा ले लिया. अध्यक्ष ने तिवारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. **गुमला में टेका गी, डीलर गिरी गी :** गुमला में कई ऐसे डीलर हैं, जो ठेकेदारी के साथ डीलर गिरी भी करते हैं. कई बार ऐसे डीलरों की शिकायत हो चुकी है. परंतु, विभाग से सेटिंग-गेटिंग कर ये लोग अपना लाइसेंस अक्सर बचाते रहते हैं. जबकि ऐसे डीलरों से लाभुकों को अक्सर अनाज मिलने में परेशानी होती है. गुमला प्रशासन इस मामले की भी जांच कराये, तो कई डीलर नपेंगे.

मैं गुमला में दूसरे अधिकारी को प्रभार देकर गिरिडीह जिला आ गया हूँ. गुमला के डीलर भी दुध के धुले नहीं हैं. तिवारी ने पैसा लिया है. इसकी जानकारी नहीं है. **गुलाम समदानी (तत्कालीन डीएसओ, गुमला)**

अनाज वितरण में तिवारी कौन, इसकी जांच हो: उपाध्यक्ष



गुमला के डीलर.

प्रतिनिधि, गुमला

तिवारी कौन है, इसकी जांच हो. जब वह सरकारी मुलाजिम नहीं है, एजोएम नहीं है, तो फिर जिले में अनाज वितरण में उसका हस्तक्षेप क्यों होता है. आखिर किसके सह पर तिवारी गोदामों में बैठा रहता है. सैकड़ों विक्टल अनाज डीलरों को नहीं मिला है, तो आखिर अनाज कहाँ गया. प्रशासन से अपील है कि इसकी एक टीम बना कर जांच कराये. उक्त बातें जिए गुमला की उपाध्यक्ष संयुक्ता देवी ने कही. उन्होंने कहा है कि डीलरों ने शिकायत की है कि 500 विक्टल से अधिक अनाज गायब है, जिसमें गेहूँ की मात्रा अधिक है. अब यह सवाल उठता है कि विभाग के किस अधिकारी ने तिवारी नामक व्यक्ति को पावर दे रखा था, जो अनाज की हेराफेरी की है. साथ ही गुमला के तत्कालीन एजीएम के कार्यों की जांच हो. क्योंकि गुमला में लंबे समय से अनाज घोटाला होता रहा है. परंतु, यह दबता रहा है. अब जब मामला सामने आया है, तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. सितंबर व नवंबर माह का अनाज डीलरों को नहीं मिला, जिससे लाभुकों तक अनाज नहीं पहुँचा. कुछ डीलरों ने अपना लाइसेंस बचाने के लिए खरीद कर अनाज का वितरण किया है. वहीं घटगाँव पंचायत की जूही महिला मंडल जनवितरण प्रणाली दुकानदार के अध्यक्ष व सचिव से तिवारी ने 84 हजार रुपये लिये हैं. यह राशि तिवारी ने किस हैसियत से ली है, इसकी भी जांच हो, ताकि जनवितरण में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके. गुमला जिले में दो हजार से अधिक



सैकड़ों विक्टल अनाज डीलरों को नहीं मिला है, तो आखिर अनाज कहाँ गया. प्रशासन से अपील है कि इसकी एक टीम बना कर जांच कराये. संयुक्ता देवी, जिए गुमला की उपाध्यक्ष

- सैकड़ों विक्टल अनाज डीलरों को नहीं मिला, तो आखिर अनाज कहाँ गया
- जब तिवारी कोई सरकारी मुलाजिम नहीं, तो अनाज वितरण में हस्तक्षेप क्यों
- 500 विक्टल से अधिक अनाज गायब होने के मामले की निष्पक्ष जांच हो

राशन डीलर है. हर राशन डीलर का अनाज काटा जाता है. डीलर से अनाज काटे जाने के बाद वे लोग गरीब लाभुकों का अनाज काटते हैं. मैं गुमला उपायुक्त से अनुरोध करूँगी कि एक निष्पक्ष जांच टीम बना हर पहलुओं की जांच हो.

गोदामों में लगे सीसीटीवी की भी जांच हो. गोदाम में गोदाम प्रभारी के अलावा बाहरी लोगों का प्रवेश हर दम होता रहा है. यह कैमरे में कैद होगा. इससे पता चल जायेगा कि अनाज किस प्रकार गोदाम से निकला. इधर, खबर 500 विक्टल से अधिक अनाज गायब होने की खबर छपने के बाद कई लोग मामले को लीपापोती करने में लगे हैं. यहाँ तक की डीलरों पर भी दबाव बनाया जा रहा है. जबकि डीलर इससे पूर्व भी कई बार शिकायत कर चुके हैं, परंतु, कार्रवाई नहीं हुई.

डीलरों को नहीं मिलता गेहूं, लेकिन ऑनलाइन दिखायी जाती है आपूर्ति

गुमला में राशन कार्ड से मिलने वाले गेहूं में बड़ा घोटाला

दुर्जय पाखवान, गुमला

गुमला में राशन कार्ड से मिलने वाले गेहूं में बड़ा घोटाला है. ऑनलाइन में गेहूं की आपूर्ति दिखायी जाती है, जबकि हकीकत में गेहूं की आपूर्ति डीलरों को नहीं की जाती है. इससे महीनों तक लाभुकों को गेहूं नहीं मिल पाता है. बाद में गेहूं को खुले बाजार में बेच कर राशन माफिया कमा रहे हैं. हालांकि कुछ डीलर गेहूं नहीं मिलने का विरोध करते हैं, तो उन्हें गेहूं मिल जाता है. इस कारण कुछ राशन डीलरों के यहां से लाभुकों को गेहूं की आपूर्ति की जाती है. परंतु अधिकांश डीलर लाइसेंस रह होने व विभाग द्वारा बेवजह परेशान करने के डर से चुप रहते हैं. इस कारण कई डीलरों को गेहूं वितरण करने के लिए नहीं मिलता है और उसी गेहूं को बेचकर विभाग के लॉग, एजीएम व तिवारी जैसे माफिया पैसा बांट कर खाते हैं. इधर, सांसद प्रतिनिधि त्रिलोकी चौधरी ने कहा है कि गुमला में जिस प्रकार राशन का घोटाला हो रहा है. इसकी जांच होनी चाहिए. खासकर गेहूं वितरण की निष्पक्ष जांच हो. कई डीलरों ने शिकायत की है कि उन्हें लाभुकों को बांटने के लिए गेहूं नहीं मिलता है. परंतु, ऑनलाइन में गेहूं वितरण कर दिव्य ऐसा कंप्यूटर में चढ़ा दिया जाता है. उन्होंने कहा है कि गेहूं नहीं बांट कर उसका पैसा कई लोग खाते हैं. इसमें तिवारी नामक व्यक्ति सबसे बड़ा माफिया है. यह कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है और न ही गोदाम का स्थायी मजदूर है. फिर भी राशन वितरण में उसका दबदबा रहता है. गुमला उपयुक्त इस मामले की जांच करें. साथ ही जब-जब गोदाम से डीलरों के बीच अनाज का वितरण हुआ है. उस समय को सीसीटीवी फुटेज की जांच करायी

प्रति विक्टल बोरा में डीलरों को आठ से 10 किलो कम मिलता है चावल

गोदाम से डीलरों को प्रति विक्टल बोरा में आठ से 10 किलो चावल कम दिया जाता है. एजीएम की निगरानी में चावल डीलरों के बीच बांटा जाता है. विभाग से ही कम चावल मिलने के कारण डीलर लाभुकों को कम चावल देते हैं. यहां गरीब लाभुकों का चावल कुछ गिने-चुने विभाग के लोग व चावल माफिया बेच कर खा जा रहे हैं. एक डीलर ने शिकायत की है कि जब हमें ही चावल, कम मिलता है, तो हम लाभुकों को कहां से पूरा चावल देंगे. डीलर संघ के शिव कुमार राम व गणेश केसरी ने कहा है डीलर यहां शोषण का शिकार हो रहे हैं. गोदाम से कम अनाज मिलता है. कई बार तो एक-दो माह का पूरा गेहूं नहीं मिलता. मांगने के बाद भी गेहूं की आपूर्ति नहीं की जाती, जिससे लाभुकों से हमें भला-बुरा सुनने को मिलता है.

तिवारी पर रांची के एक बड़े नेता का आशीर्वाद है

तिवारी नामक व्यक्ति जो राशन वितरण में हावी है. उस पर रांची के एक बड़े नेता का आशीर्वाद प्राप्त है. यहां तक कि एजीएम भी अनाज वितरण की पूरी जिम्मेवारी उसे ही सौंप देता है. यही वजह है कि गुमला में महीनों से अनाज घोटाला होते आ रहा है. यहां तक कि गेहूं का सबसे बड़ा घोटाला चल रहा है. एक डीलर ने बताया कि तिवारी जो बोलता है, वही होता है. डीलर इसलिए चुप रहते हैं कि उन्हें बेवजह के पचड़े में नहीं पड़ना है.

जाये, ताकि स्पष्ट होगा कि किस प्रकार गरीबों के अनाज में कुछ गिने-चुने माफिया डाका डाल रहे हैं. साथ ही तिवारी की संगति की भी जांच हो.

किस डीलर से कितना अनाज काटना है, यह करता है तय अनाज गोदाम पर 12 वर्षों से तिवारी का कब्जा

गुमला में राशन गोदाम

दुर्जय पासवान, गुमला

गुमला के अनाज गोदाम में 12 वर्षों से तिवारी का कब्जा है. वर्ष 2011 में गुमला के सेवानिवृत्त प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सिद्धनाथ सिंह ने तिवारी को अपने सहयोगी के रूप में गोदाम की देख-रेख के लिए लाये थे. इसके बाद से तिवारी गोदाम को अपना घर व कमाई का अड्डा बना लिया. किस डीलर से कितना अनाज काटना है, यह तिवारी तय करता है.

यहां तक की किस डीलर को भयादोहन करना है, उससे कितना पैसा वसूलना है, पैसों का बंटवारा कैसे होगा. यह वहीं तय करता था. तिवारी का प्रभाव इतना है कि वर्षों तक कोई डीलर उसके खिलाफ डर से कुछ नहीं बोलता था. परंतु, जब

एजीएम शंकर राम ने कहा

गुमला के प्रखंड कृषि पदाधिकारी सह एजीएम गुमला शंकर राम ने कहा है कि आठ फरवरी से मैं सहायक गोदाम प्रबंधक के अतिरिक्त प्रभार में हूँ. इससे पहले जनसंवेक जाकिर अंसारी थे, जो सेवानिवृत्त हो गये. जाकिर के सेवानिवृत्त के बाद मुझे एजीएम का प्रभार मिला है. जहां तक मेरी जानकारी है कि आनंद तिवारी 2011 से जब सिद्धनाथ सिंह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सह गोदाम के प्रभारी में थे, तभी से गोदाम की देखरेख आनंद तिवारी कर रहा है. सिद्धनाथ सिंह के बाद प्रेमकांत सिंह आये, तब भी आनंद तिवारी गोदाम में सक्रिय थे. इसके बाद राजेंद्र रविदास प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बने. उस समय भी तिवारी गोदाम में बने रहे. वर्ष 2019 के सितंबर माह में आरडीएस एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के समय में भी तिवारी सक्रिय रहा है. उसके बाद सेवानिवृत्त जाकिर अंसारी आये. उस समय भी तिवारी से काम लिया गया. घूस में पैसे लेने की जानकारी मुझे नहीं है.

सिर के ऊपर से पानी बहने लगा, तो अब डीलर उसके खिलाफ हो गये और उसका काला चिट्ठा खोलने लगे हैं. एक डीलर ने फोन कर बताया कि पहले तिवारी प्रखंड कार्यालय परिसर में बने अनाज गोदाम में बैठता था, जहां से वह डीलरों को अपने निगरानी में अनाज का वितरण करता था. अब

वह कृषि बाजार समिति करीबी स्थित गोदाम में बैठता है. अभी भी उसका प्रभाव है, परंतु, इसकी जांच कोई नहीं कर रहा है. बता दें कि राशन कालाबाजारी से तिवारी की मोटी कमाई होती है. कुछ चापलूस टाइप के डीलर अक्सर उसके आगे पीछे रहते हैं, क्योंकि मामूली से तिवारी की पहुंच

ऊपर के अधिकारियों तक है. इसलिए डीलर अपना लाइसेंस बचाने के लिए उसके हां में हां मिलाने रहते हैं. इधर, डीलर संघ के शिव कुमार राम व गणेश केसरी ने कहा है कि तिवारी जब से गोदाम में है, तब उसे अनाज वितरण की जांच हो. साथ ही गोदाम में लगाये गये सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी तिवारी किस हैसियत से गोदाम में पदाधिकारी के रूप में बैठता है, इसकी भी जांच की जाये. बता दें कि पूर्व बीएसओ सिद्धनाथ सिंह के रिटायरमेंट के बाद तिवारी जितने भी अधिकारी आते गये, उनसे सेटिंग-गैटिंग कर गोदाम पर कब्जा जमाये रहा. डीलरों ने गुमला उपायुक्त से मांग की है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, ताकि अनाज वितरण में हो रही गड़बड़ी पर रोक लग सके. साथ ही डीलरों से जो अनाज आठ से 10 किलो काटा जा रहा है, उस पर भी रोक लगे.

अनाज घोटाला. डीएसओ के नेतृत्व में सभी 12 प्रखंडों के एमओ करेंगे जांच

डीएसओ व एमओ को मिला जांच का जिम्मा



गुमला गोदाम में 12 वर्षों से जमे आनंद तिवारी के मामले को चला रही है जांच

दुर्जय पासवान, गुमला

गुमला में हुए अनाज घोटाला का समाचार प्रभात खबर में छपने के बाद गुमला उपायुक्त डॉ कर्ण सत्यार्थी ने मामले को सज्ञान में लिया है. उन्होंने अनाज घोटाला, गुमला गोदाम में 12 वर्षों से जमे आनंद तिवारी, एजीएम की भूमिका, लाभुकों को कम अनाज दिये जाने के मामले में जांच का आदेश दिया है. इसके लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी के नेतृत्व में जांच हंगी. जांच टीम में सभी 12 प्रखंड के प्रेब्रंड आपूर्ति पदाधिकारी भी शामिल हैं. सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में अनाज वितरण की जांच करेंगे. उपायुक्त ने कहा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा है कि गुमला गोदाम में आनंद तिवारी नामक व्यक्ति

गुमला में जिस प्रकार अनाज घोटाला का मामला सामने आया है. इसकी जांच निष्पक्ष हो. गुमला गोदाम के कुछ लोग जो अनाज वितरण में हावी रहे हैं. इसकी भूमिका को भी जांच हो. क्योंकि गरीबों का अनाज पर माफिया वर्ग के लोगों का डाका बड़ा अपराध है. चंद गिने-चुने माफियाओं को गरीबों का हक मारने नहीं देंगे.

भूषण तिवारी (विधायक, गुमला)

को किस एजेंसी के माध्यम से रखा गया है, इसकी जांच हो रही है. जांच के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. उपायुक्त ने गरीब लाभुकों को कम अनाज मिलने पर चिंता जतायी है. उन्होंने कहा है कि यह समस्या पूरे गुमला में है.

सरकार द्वारा तय मात्रा के अनुसार लाभुकों को अनाज मिलना है, परंतु, जिस प्रकार की शिकायतें मिल रही है कि लाभुकों को डीलर द्वारा कम अनाज दिया जाता है, इसकी भी जांच होगी व डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. उपायुक्त ने कहा है कि अनाज वितरण से संबंधित कोई भी शिकायत हो, तो लाभुक बतायें. मैं उस पर जांच करा कर कार्रवाई करूंगा.

वर्ष 2022 के सितंबर व नवंबर माह का आधा अनाज

गुमला जिले में अनाज का बड़ा घोटाला, 5000 क्विंटल गायब



गुमला में 12 वर्षों से अनाज घोटाला का मामला सामने आया है. इसकी जांच निष्पक्ष हो. गुमला गोदाम के कुछ लोग जो अनाज वितरण में हावी रहे हैं. इसकी भूमिका को भी जांच हो. क्योंकि गरीबों का अनाज पर माफिया वर्ग के लोगों का डाका बड़ा अपराध है. चंद गिने-चुने माफियाओं को गरीबों का हक मारने नहीं देंगे.

प्रभात खबर में छपी खबरें.

राशन घोटाला मामले में जांच के बिंदु

गुमला में लाभुकों को पांच से छह किलो तक कम अनाज दिया जाता है. गेहूं वितरण में सबसे बड़ा घोटाला है, एक-

किस डीलर से कितना अनाज काटना है, यह करत हा है तय

अनाज गोदाम पर 12 वर्षों से तिवारी का कब्जा

गुमला में 12 वर्षों से अनाज घोटाला का मामला सामने आया है. इसकी जांच निष्पक्ष हो. गुमला गोदाम के कुछ लोग जो अनाज वितरण में हावी रहे हैं. इसकी भूमिका को भी जांच हो. क्योंकि गरीबों का अनाज पर माफिया वर्ग के लोगों का डाका बड़ा अपराध है. चंद गिने-चुने माफियाओं को गरीबों का हक मारने नहीं देंगे.

वितरण

- वर्ष 2022 के सितंबर व नवंबर माह का आधा से अधिक अनाज गायब हो गया
- गुमला गोदाम से वर्ष 2022 के सितंबर माह का अनाज बिना बांटे गायब हो गया
- गुमला गोदाम में 12 वर्षों से जमे आनंद तिवारी चावल व गेहूं वितरण में हावी है.
- गुमला गोदाम में डीलर का लाइसेंस रद्द करने की धमकी देकर घूस लिया है
- डरा धमका कर घटगांव पंचायत के डीलर से 84 हजार रुपये घूस लिया गया है.

दो माह का गेहूं नहीं बांटा गया बिना अनाज का वितरण किये ऑनलाइन में इंट्री कर दिखाया जाता है.

भाकपा ने कचहरी परिसर में दिया धरना, डीसी को सौंपा मांग पत्र

ईमानदार अधिकारी से करायी जाये अनाज घोटाला की जांच

प्रतिनिधि, गुमला

भाकपा ने शुक्रवार को कचहरी परिसर में धरना दिया. अध्यक्षता बसंत गोप ने की. इसके बाद अनिल असुर, बसंत गोप व सचिव महेंद्र भगत के नेतृत्व में डीसी को नौ सूत्री मांग पत्र सौंपा गया. मौके पर सचिव ने कहा है कि 60 वर्ष के सभी कारखतकारों को 10 हजार रुपये मासिक पेंशन दिया जाये, भूमि बैंक को रद्द किया जाये, गुमला जिले को सुखाड़ घोषित किया जाये, राहत कार्य चलाया जाये, जमीन की ऑनलाइन करने में तकनीकी गड़बड़ी के कारण किन्ही की जमीन किन्ही के नाम में दर्ज हो गयी है, जिस कारण ऑनलाइन रसीद किसानों को नहीं मिल रही है. जब तक पूर्ण रूप से सुधार नहीं हो जाता है, तब तक ऑफलाइन रसीद काटा जाये. साथ ही पंचायत स्तर पर शिविर लगा कर सुधार किया जाये.



धरना देते भाकपा के लोग.

सभी पंचायतों में कैंप लगा कर दखिल खारिज का काम किया जाये. कतरी जलाशय का पानी को टोटो, बसुआ व फेरी तक लाया जाये. कहा कि गुमला जिले में जनवितरण प्रणाली के अनाज के घोटाला की जांच डीएसओ व एमओ को न देकर उच्चस्तरीय न्यायिक जांच करायी जाये. कुंदा बरटोली व सल्याटोली मटुकडीह के बीच मरदा नदी में पुल का निर्माण कराया जाये. पुल निर्माण हो जाने

से गुमला प्रखंड व पालकोट प्रखंड को जोड़ने का काम होगा, जिससे सेकड़ों गांव के ग्रामीण लाभान्वित होंगे. भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लागू करने की मांग की है. मौके पर एतवा प्रधान, विनोद खलखो, बसंत गोप, बुधू टोप्पो, रवि मुंडा, महादेव बड़ाइक, भुटकू प्रधान, विधनाथ उरांव आद मौजूद थे. अनाज घोटाला व वितरण में धांधली की जांच की मांग: गुमला. गुमला में

राशन कार्डधारियों के अनाज घोटाला व वितरण में धांधली के संबंध में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव रमेश कुमार चीनी ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई करने की मांग की है. उन्होंने अनाज वितरण में डीएसओ, एमओ, एजीएम, डॉलर व गोदाम में हल्वी अनाज माफियाओं की भूमिका की जांच कराने की मांग की है. जांच ईमानदार अधिकारी से करायी जाये, ताकि सच सामने आ सके. जांच में संबंधित आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को दूर रखने की मांग की है. रमेश चीनी ने उपायुक्त से अनुरोध किया है कि गरीबों के हित को देखते हुए इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेते हुए निष्पक्ष टीम बना कर सभी आरोपों की सत्यता की जांच कराते हुए दोषियों पर कार्रवाई की जाये, ताकि भविष्य में इस तरह का घोटाला की पुनरावृत्ति न हो.

एसडीओ या मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में बने जांच टीम : भोला चौधरी

अनाज घोटाला का मामला

प्रतिनिधि, गुमला

गुमला में राशन कार्डधारियों के अनाज घोटाला व गुमला अनाज गोदाम में आनंद तिवारी के 12 वर्षों से प्रभाव के मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुमला को जांच का जिम्मा मिला है. इस संबंध में सांसद प्रतिनिधि भोला चौधरी ने कहा है कि जिस अधिकारी को जांच का जिम्मा मिला है, इससे स्पष्ट है कि दूध की रखवाली बिल्ली के हाथों में है, इस कहावत के मायने सभी समझ गये होंगे. बिल्ली को अगर दूध की रखवाली करने देंगे, तो वह दूध को पीकर खत्म कर देगी. इस प्रकार अनाज घोटाला व अनाज गोदाम में अनाज माफियाओं के प्रभाव की जांच जिस अधिकारी को दिया गया है, वह उसी विभाग से संबंधित अधिकारी है. इसलिए गुमला उपायुक्त से अनुरोध है, अनाज घोटाला बड़ा मामला है, गुमला गोदाम में आनंद तिवारी को प्रभाव 12 वर्षों से है, इसका मतलब यहाँ बड़ा घोटाला हुआ होगा. इसलिए इसके

प्रशासन से लोगों का विश्वास टूट रहा है. इसलिए जरूरी है इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच करायी जाये.

लिए एक निष्पक्ष जांच टीम बने. कहा कि एसडीओ या मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में जांच टीम बननी चाहिए, ताकि हर एक मामले की जांच हो. इससे गरीबों के अनाज का घोटाला करने वालों पर कार्रवाई हो सके, क्योंकि इस घोटाले में गोदाम की देख-रेख करने वाले माफियाओं के अलावा एजेंट, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी व जिला आपूर्ति विभाग की भूमिका संदेह में है. इसलिए इसकी जांच सही अधिकारी से हो, ताकि सच्चाई सामने आ सके. साथ ही जांच टीम के नाम भी सार्वजनिक हो, ताकि जनता को यह पता चले कि जांच ईमानदार अधिकारी के हाथ में है. श्री चौधरी ने कहा है कि अनाज घोटाले का मामला सामने आने के बाद जनता के बीच अच्छा संदेश नहीं गया है. प्रशासन से लोगों का विश्वास टूट रहा है, इसलिए जरूरी है इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच करायी जाये.